

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-294 / 2007
 संस्थित दिनांक-18.05.2007
 फाईलिंग क.234503000062007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

भरतलाल पिता समेलाल सेन, उम्र-33 वर्ष,
 निवासी-ग्राम कनिया, थाना बिरसा,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

- - - - - **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-19/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-66/192 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-02.05.2007 को सुबह 6:00 बजे, आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम खुर्शीपार रोड़ में नाले के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी-04/जे-8202 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहतगण रंजनसिंह, हिरणसिंह, राजकुमार, पीतमसिंह, खेलनसिंह, सरोजबाई, संजय कुमार, उदलसिंह, तिजियाबाई, कौशिलाबाई, दुखियाबाई, सनुकलाल, राकेश कुमार, हंसूलाल, धनाराम, वीरेन्द्रसिंह, हरेन्द्र, मधुसिंह, मंजुबाई, बाबूलाल, जयसिंह, जेठूसिंह, नारायण, दुलारसिंह को साधारण उपहति तथा उक्त वाहन में क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सिरदुसिंह ने दिनांक-02.07.2005 को पुलिस थाना बिरसा में यह सूचना दी कि वह मेटाडोर क्रमांक-सी. जे-04/जे-8202 में बैठकर सिंगनपुरी आ रहा था। मेटाडोर में 30-40 लोग बैठे हुए थे। ग्राम खुर्शीपार के पास वाहन चालक ने तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वाहन को पलटा दिया, जिससे कि उसे व अन्य सवार लोगों को चोट आई थी। उपरोक्त आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-38/2007, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, विवेचना की शेष कार्यवाही की गई। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त वाहन में क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर वाहन

चलाने से धारा-66/192 मो.व्ही.एक्ट का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं धारा-66/192 मो.व्ही. एक्ट के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-02.05.2007 को सुबह 6:00 बजे, आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम खुर्शीपार रोड़ में नाले के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-सी.जी-04/जे-8202 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण रंजनसिंह, हिरणसिंह, राजकुमार, पीतमसिंह, खेलनसिंह, सरोजबाई, संजय कुमार, उदलसिंह, तिजियाबाई, कौशिलाबाई, दुखियाबाई, सनुकलाल, राकेश कुमार, हंसूलाल, धनाराम, वीरेन्द्रसिंह, हरेन्द्र, मधुसिंह, मंजुबाई, बाबूलाल, जयसिंह, जेठूसिंह, नारायण, दुलारसिंह को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से कार्य कर साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 व 2 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन साक्षी सिरदू (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन से दो साल पूर्व सुबह 6 बजे की है। वह मेटाडोर में बैठकर बारात में जा रहा था। वह गाड़ी में पीछे बैठा था। आरोपी तेज गति से वाहन चला रहा था, इसलिए गाड़ी पलट गई थी। गाड़ी किसकी गलती से पलटी थी, वह नहीं बता सकता। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बिरसा में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसने अंगूठा लगाया था। पुलिस ने मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिसमें उसने अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर रोड़ बहुत खराब थी एवं वाहन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी लापरवाही पूर्वक वाहन नहीं चला रहा था। मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन करने से यह साक्षी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता।

6— अभियोजन साक्षी रंजनसिंह (अ.सा.1) ने कहा है कि घटना वर्ष 2007 की है। आरोपी ट्रक चला रहा था, जो ग्राम खुर्शीपार में पलट गया था। आरोपी शराब पीकर तेज गति से वाहन चला रहा था, परंतु वाहन किसकी गलती से पलट गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने सुना था आरोपी शराब पीकर वाहन चला रहा था, इसलिए उसने यह बात न्यायालय में बताई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जहां दुर्घटना हुई थी, वहां पर रास्ता खराब था।

7— अभियोजन साक्षी डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.6) ने कहा है कि वह दिनांक—07.05.2007 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक—03.05.2007 को एकसरे टेक्निशियन डी.आर. तुमसरे ने आहत रंजनसिंह के सीने का एकसरे किया था, जिसका एकसरे प्लेट क्रमांक—1438 था। एकसरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने आहत के सीने की हड्डीयों में कोई फ्रैक्चर नहीं होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— अभियोजन साक्षी हीरनसिंह (अ.सा.3) ने कहा है कि दुर्घटना के समय वाहन धीरे-धीरे चल रहा था। गाड़ी पलटने की उसे जानकारी नहीं है। साक्षी राजकुमार (अ.सा.4) ने कहा है कि घटना दिनांक को पानी गिरा था और गाड़ी पलट गई थी। गाड़ी तेज गति से नहीं चल रही थी। साक्षी खेलनसिंह (अ.सा.5) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना दिनांक को मेटाडोर पलट गई थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना के समय वह सोया हुआ था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि वाहन कैसे चल रहा था।

9— अभियोजन साक्षी तिजियाबाई (अ.सा.7) ने कहा है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी मेटाडोर को तेज गति से चला रहा था, जिससे वाहन पलट गया था, परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि रोड़ में गढ़दे होने के कारण वाहन की गति 20—25 किलोमीटर की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वाहन चालक की लापरवाही से दुर्घटना नहीं हुई। रोड़ पर बड़े-बड़े गढ़दे होने से वाहन पलट गया था।

10— अभियोजन साक्षी संजय सार्वे (अ.सा.8) ने कहा है कि दुर्घटना के समय वाहन को आरोपी चला रहा था। गाड़ी सामान्य गति से चल रही थी। गाड़ी किसी बड़े गढ़दे में आ जाने से पलट गई थी। वह पीछे बैठा था, इसलिए उसे नहीं मालूम कि वाहन किसकी गलती से पलटा था। साक्षी कौशल्या (अ.सा.9) ने कहा है कि वाहन दुर्घटना के समय कौन चला रहा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। वाहन चालक वाहन को तेज गति से चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि गढ़दे होने से वाहन धीरे-धीरे चल रहा था। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण से अभियोजन पक्ष को लाभ प्राप्त नहीं होता।

11— अभियोजन साक्षी सरोज (अ.सा.10) ने कहा है कि घटना के समय वह मेटाडोर में बैठकर आ रही थी, तभी दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना कैसे हुई थी, इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी सनुकलाल (अ.सा.11) को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है। उसने कहा है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी वाहन चालक वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, इसलिए दुर्घटना हुई। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के दिन आरोपी वाहन को धीमी गति से चला रहा था। अभियोजन साक्षी घनाराम (अ.सा.12) ने कहा है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है।

12— अभियोजन साक्षी वीरेन्द्र (अ.सा.13) ने कहा है कि वह आरोपी भरत को नहीं पहचानता है। घटना के समय मेटाडोर वाहन पलट गया था। उसे कोहनी में चोट आई थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी की लापरवाही से वाहन पलट गया था। साक्षी हंशुलाल (अ.सा.14) ने यह कहा है कि घटना वर्ष 2007-08 की है। खुर्शीपार रोड़ में नाले के पास वाहन जिसे आरोपी भरत चला रहा था, वह पलट गया था। उसे दाहिने हाथ में चोट आई थी। साक्षी ने कहा है कि वह नहीं बता सकता कि मेटाडोर किस प्रकार से चल रही थी। अभियोजन साक्षी बुखियाबाई (अ.सा.15) ने कहा है कि वह घटना के समय मेटाडोर में बैठकर सिंगनपुरी जा रही थी। वाहन चालक कौन था, वह नहीं बता सकती कि दुर्घटना कैसे हुई।

13— अभियोजन साक्षी पितमलाल (अ.सा.16), साक्षी हरेन्द्र (अ.सा.17), मधुसिंह (अ.सा.18) ने कहा है कि दुर्घटना के समय मेटाडोर वाहन पलट गया था, जिससे उन्हें चोट आई थी। वाहन को आरोपी किस प्रकार से चला रहा था अथवा आरोपी की गलती से दुर्घटना हुई थी, यह बात उपरोक्त साक्षियों ने नहीं कही है। साक्षी मंजूबाई (अ.सा.19) ने कहा है कि दुर्घटना के समय आरोपी वाहन को चला रहा था, जो ग्राम खुर्शीपार के पास पलट गया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि वाहन में दहेज का सामान रखा हुआ था। अभियोजन के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि आरोपी वाहन को सावधानी से चलाता तो दुर्घटना नहीं होती। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को नहीं बताया था कि किसकी लापरवाही से दुर्घटना हुई थी।

14— अभियोजन साक्षी बाबूलाल (अ.सा.20) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। वह बारात में नहीं गया था, इसलिए उसे चोट नहीं आई थी और न ही उसे घटना की कोई जानकारी है। साक्षी जयसिंह (अ.सा.21) ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके बयान से 7-8 वर्ष पूर्व की है। वह मेटाडोर में बारात गया था,

जिसमें अन्य लोग भी गए थे। मेटाडोर चालक की गलती से दुर्घटना हुई थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि आरोपी की लापरवाही से दुर्घटना हुई। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह दुर्घटना के समय वाहन के पीछे बैठा था, इसलिए नहीं बता सकता कि वाहन कौन चला रहा था।

15— अभियोजन साक्षी नारायण (अ.सा.22) ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके बयान देने के 6-7 वर्ष पूर्व की है। वह बारात में गया था और लौटते समय वाहन पलट गया था। उसका बिरसा अस्पताल में ईलाज हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह वाहन में पीछे बैठा था, इसलिए उसने नहीं देखा कि वाहन कौन चला रहा था।

16— प्रकरण में उपरोक्त अभियोजन साक्षियों ने यह कहा है कि दुर्घटना के समय मेटाडोर वाहन के पलट जाने से उन्हें चोट आई थी। अभियोजन साक्षी रंजन ने यह कहा है कि आरोपी शराब पीकर तेज गति से वाहन चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे लोगों ने बताया था कि वाहन चालक शराब पीए हुए था। अभियोजन साक्षी रंजनसिंह (अ.सा.1), सिरदू (अ.सा.2), राजकुमार (अ.सा.4), तिजियाबाई (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी लापरवाही पूर्वक वाहन नहीं चला रहा था। साक्षी सिरदू ने कहा है कि घटनास्थल पर रोड़ खराब थी और वाहन धीमी गति से चल रहा था। अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.4), कौशल्या (अ.सा.9), सनुकलाल (अ.सा.11) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वाहन की गति अत्यधिक तेज नहीं थी एवं गड्ढे आ जाने से वाहन पलट गया था। समस्त अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से स्पष्टतः यह बात प्रमाणित नहीं हो रही है कि आरोपी दुर्घटना के समय वाहन को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चला रहा था, जिससे दुर्घटना कारित हुई। अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि दुर्घटना के समय वाहन की गति अत्यधिक तेज नहीं थी और रोड़ में गड्ढे आ जाने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया था। उपरोक्त स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी के उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाए जाने से दुर्घटना हुई थी और इसमें आहतगण को चोट आई थी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आधारों पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए दुर्घटना में आहतगण को आई चोटों के लिए भी आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 के अंतर्गत अपराध किये जाने के तथ्य प्रमाणित न होने से आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-3 का निष्कर्ष :-

17- आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-66/192 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। आरोपी ने अपने बचाव में यह नहीं कहा है कि दुर्घटना वाहन क्रमांक-सी.जी-04/जे-8202 से नहीं हुई थी या कि दुर्घटना के समय वाहन में जिन आहतगणों को चोट आई थी, वे उस पर सवार नहीं थे। अभियोजन साक्षी रंजनसिंह ने कहा है कि गाड़ी में 80-90 आदमी बैठे थे, जबकि साक्षी सिरदू (अ.सा.2) का कहना है कि घटना के समय गाड़ी में 50-60 लोग बैठे थे। उपरोक्त साक्षियों के कथनों का खण्डन बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाकर वाहन चलाना प्रमाणित हो रहा है और यह कृत्य परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया जाना माना जावेगा। दुर्घटना आरोपी की उपेक्षा एवं उतावलेपन से हुई हो अथवा नहीं, परंतु आरोपी द्वारा क्षमता से अधिक व्यक्तियों को वाहन में बैठाया जाना प्रमाणित हो रहा है। साक्षी मंजूबाई (अ.सा.5) ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने के पश्चात् यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय वाहन में दहेज का सामान भी रखा था, इसलिए उस पर सवार व्यक्तियों को बैठने में असुविधा हो रही हो। उपरोक्त कथनों को आरोपी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा-66/192 का अपराध किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आरोपी को उपरोक्त धारा के अंतर्गत सिद्धदोष पाया जाता है।

18- आरोपी द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा-66/192 के अपराध के लिए 2000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाये जाने की दशा में आरोपी को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

19- प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

21- आरोपी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

22- प्रकरण में जप्तशुदा मेटाडोर क्रमांक-सी.जी-04/जे-8202 मय दस्तावेज के ओमप्रकाश साहू पिता कुंवरसिंह साहू, जाति तेली, निवासी ग्राम भगतवाही, थाना बिरसा, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि

पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

बैहर,
दिनांक-19.05.2016

(श्रीधर कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)